न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/174
मुकदमा नम्बर 63/2024 दर्ज दिनांक–06.05.2024

शीशपाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

बनाम

1. अमन पुत्र सांवरमल
2. पूजा पुत्री सांवरमल
3. सुमिता देवी पत्नी स्व. सांवरमल
4. गिरधारीलाल पुत्र मोटाराम
5. मनोहरलाल पुत्र मोटाराम
6. सुरेन्द्र पुत्र मोटाराम
7. लक्ष्मी पुत्री मोटाराम जाति जाट निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
8. तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री अशोक कुमार जांगिड
अनावेदक सं. 1 लगा.8 – एक पक्षीय

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नं. 939 रकबा 0.39 है0,खसरा नं. 941 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 940 रकबा 0.20 है0 की सीमाओं पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदकगण बावजूद समयक तामिल अनुपस्थित रहे इसलिये इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 18/12/2023 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम कोलसिया पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नं. 939 रकबा 0.39 है0,खसरा नं. 941 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 940 रकबा 0.20 है0 की सीमाओं पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned with CamScanner